संख्या : 1258/1–10–2012–33(64)/2012

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलरामपुर/शाहजहांपुर/गोण्डा।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ : दिनॉक : 14 मई, 2012

विषय : वर्ष 2011 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2012–13 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011–12 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु रूपये एक करोड़ से अधिक की उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं के संबंध में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2012–13 मे निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि **रू0 7,15,06,000/–** **(रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख छः हजार मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0 सं0	जनपद का नाम	विभाग का नाम	परियोजनाओ का विवरण	जिलाधिकारी/मंडलायुक्त का सन्दर्भ/पत्रांक	लागत धनराशि/स्वीकृति धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	बलरामपुर	सिंचाई विभाग–ड्रेनेज खंड, सिद्धार्थ नगर	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के दक्षिण छोर पर दोनो तरफ नदी की कटान को रोकने हेतु धनावंटन के संबंध में	जिलाधिकारी बलरामपुर का पत्रांक 2046/सी0आर0ए0(दै0आ0–क्षति0परि0मर0–धन0)दिनॉक 13.04.2012	24682000	12341000
2	शाहजहांपुर	लोक निर्माण विभाग–निर्माण खंड–1, शाहजहांपुर	जलालाबाद ढ़ाईघाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0 7 में यातायात खोलने एवं 30×1000 एमएम व्यास हयूम पाइप सवमर्जिविल कलवर्ट (काजवे) का निर्माण/मरम्मत कार्य	मंडलायुक्त बरेली का पत्र 1890/टी0ए0सी0/बाढ़ आपदा/रेस्टोरेशन/2011–12/शाहजहांपुर दिनांक 22.12.2012	12888000	6444000
		तदैव	जलालाबाद ढ़ाईघाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0 1, 3, 4, 5 एवं 6 के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य	तदैव	11454000	5727000
3	गोण्डा	लोक निर्माण विभाग–प्रान्तीय खंड, गोण्डा	मोतीगंज बगुलही मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 06 एवं 16 तक में क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य एवं 02 अदद 600 एम0एम0 पुलिया कि0मी0 12 में	कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मंडल, गोण्डा का पत्र सं0 947/आर0ए0–प्रथम/दैवी आपदा/बैठक/2012	20400000	10200000

			पुर्ननिर्माण एवं 01 अदद 900 एम0एम0 पुलिया कि0मी0 06 में एवं 1 अदद 600 एम0एम0 पुलिया कि0मी0 10 में नव निर्माण का कार्य।	दिनॉक 11.04.2012		
		लोक निर्माण विभाग–निर्माण खंड–1, शाहजहांपुर	बहुवन मदार माझा सम्पर्क मार्ग (धनावा चौराहा से देवीगंज ग्रामीण मार्ग) में बाढ़ एवं वर्षा से मार्ग जगह–जगह कट गया है। जिससे कि0मी0 04 में 02 न0 तथा किमी0 07 व किमी0 08 में 01–01 न0 आर0सी0सी0 3.00 मी0 स्यान की पुलिया। किमी0 07 व किमी0 08 से 01–01 नं0 आर0सी0सी0 5.00मी0 स्पान की पुलिया। किमी0 07 व किमी0 09 में 25 मी0 लम्बाई में एक–एक वेन्टेड काजवे की आवश्यकता है। बाढ़ के कारण मार्ग नौ जगह कट गया है। पुलिया के डाउन स्ट्रीम एवं अपस्ट्रीम में बोल्डर पीचिंग का कार्य। दो किमी0 लम्बाई मे एक कोट पत्थर से पुर्ननिर्माण का कार्य एवं शेष किमी0 में पेंच मरम्मत का कार्य।	तदैव	19410000	9705000
		सिंचाई विभाग–बाढ़ कार्य खण्ड	एलिगन चरसड़ी तटबन्ध के किमी0 37.900 से 52.400 के मध्य कटे हुए भाग की पुर्नस्थापना का कार्य।	तदैव	11102000	5551000
	गोण्डा	तदैव	एलिगन चरसड़ी तटबन्ध के किमी0 21.00 से 27.100 एवं किमी 36.200 से 37.900 तक पुर्नस्थापना का कार्य।	तदैव	19996000	9998000
		सिंचाई विभाग–ड्रेनेज खंड	सकरौर, भिखारीपुर तटबन्ध के किमी0 0.00 से 22.600 के मध्य बाढ़ बचाव कार्य।	तदैव	23080000	11540000
	महायोग				143012000	**71506000**

.....2

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2011 में आई बाढ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/ पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0–78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या– 32–7/2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाईडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1–10–2011–12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियां केवल उन्ही सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनःनिर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि 16 जनवरी, 2012 से पूर्व वर्ष 2011 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है और जिनके बारे में Project Sanction की समसत औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है।

5. वर्ष 2011–12 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

.....3

व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या :1258/1–10–2012–33(64)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2– संबधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6– संबधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10/5/12
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनुसचिव।

.....4